



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2523।

नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, अक्टूबर 31, 2013/कार्तिक 9, 1935

No. 2523।

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2013/KARTIKA 9, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(वक़्फ़ प्रभाग़)

अधिसूचना

गई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2013

का.आ।. 3292(अ)।—केंद्रीय सरकार, वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की सं० 27) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शरितयों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नवम्बर, 2013 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उद्दत अधिनियम के उपर्युक्त प्रमाण में आएगे।

[F. सं. 12/1/2012—वक़्फ़ (वौल्यू IV)]
RAKESH MOHAN, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(WAKE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2013

S.O. 3292(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Wakf (Amendment) Act, 2013 (No. 27 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2013 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 12/1/2012-Wakf (Vol. IV)]

RAKESH MOHAN, Jr. Secy.